...ालय तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला–अजमेर

...कदमा नं. 06/~~2014~~ 2021

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91
राज. भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 ......नोसल...... बनाम श्री ......मोरन पुत्र भँवरलाल......
~~पुत्र श्री~~ ......सुखाजेवी पत्नि भँवरलाल...... जाति ......बावरी......
निवासी ......नोसल......

निर्णय दिनांक 25/02/~~2014~~ 2021

पत्रावली पेश हुई । अप्राार्थी ......मोरन पुत्र भँवरलाल सुखाजेवी पत्नि......
~~पुत्र श्री~~......भँवरलाल...... जाति ......बावरी...... निवासी ......नोसल...... उपस्थित होकर
अतिक्रमण छोड़ने हेतु निवेदन किया। अत: मामला निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम ......नोसला...... के आराजी
खसरा नं. ......749/135...... किस्म ......बारानी 3...... रकबा ......3.2368...... पर से ......फसल काश्त......
...... कर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने
पर मामला अन्तर्गत 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस
से तलब किया गया । अप्रार्थी उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार कर छोड़ने का निवेदन किया।

अत: आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम ......नोसला...... की आराजी खसरा नं. ......749/135......
किस्म ......बारानी 3...... रकबा ......3.2368...... से बेदखल किया जाता है तथा लगान ......5.80......
का ......80...... गुणा ......2401/-...... रूपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी
को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। ~~पटवारी हल्का प्रश्नगत आराजी पर खड़ी फसल को निलामी कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।~~

पटवारी /टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करें तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से
बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाय गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह
भण्डार हो।

न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ़ (अजमेर)

वर्ष 2020-21 रा.ले.नं. 4 के पृष्ठ संख्या 84 पर रु. 2401/- की मांग कायमी की गई। [signature] 4/3/21 तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार
तहसीलदार
रूपनगढ़ (जिला अजमेर)